

वित्त विभाग द्वारा  
अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित।

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

शिवमहादेव प्रसाद,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक.....

विषय:-

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 185 पद, जिनमें 38 पद अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु, 147 पद फास्ट ट्रैक न्यायालयों हेतु तथा 10 पद अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय हेतु (कुल 195) अस्थायी पदों के गैर योजना मद में सृजन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-26485 दिनांक 05.04.2018 द्वारा राज्य के न्याय प्रणाली में सुधार एवं सुदृढीकरण के निमित्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 185 पद, जिनमें 38 पद अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु, 147 पद फास्ट ट्रैक न्यायालयों हेतु तथा 10 पद अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय हेतु (कुल 195) अस्थायी पदों के गैर योजना मद में सृजन किये जाने की अनुशंसा प्राप्त थी।

2. उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के उपर्युक्त पत्र द्वारा समर्पित पत्र सह संलग्न विवरणी में अंकित पद संवर्ग के सम्मुख अंकित वेतनमान में वार्षिक ₹ 32,05,11,906/- (बत्तीस करोड़ पाँच लाख ग्यारह हजार नौ सौ छः रुपये) मात्र तथा न्यायिक सेवा संवर्गों में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में अस्थायी रूप से न्यायिक पदाधिकारियों के कुल 195 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पदों हेतु संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों के पद सृजन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम तथा वेतनादि के विकलन हेतु बजट शीर्ष निम्नवत् हैं:-

(i) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 38 पद (अतिरिक्त न्यायालयों के लिए) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम-संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश बजट शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन-लघुशीर्ष-105 सिविल और सेशन न्यायालय-उपशीर्ष-0007-अतिरिक्त न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा) के अन्तर्गत स्थापना मद से भारित होगा। विपत्र कोड-"एन0-2014001050007" संबंधित कोषागार से राशि की निकासी होगी।

(ii) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 147 पद (फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम-संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश बजट शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन-लघु शीर्ष-105 सिविल और सेशन न्यायालय-उपशीर्ष-0008-त्वरित न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा) के अन्तर्गत स्थापना मद से भारित होगा। विपत्र कोड-"एन0-2014001050008" संबंधित कोषागार से राशि की निकासी होगी।

(iii) अपर प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) के 10 पद। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम-संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश बजट शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन-लघु शीर्ष-117-परिवार न्यायालय-उपशीर्ष-0002-परिवार न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा) के अन्तर्गत स्थापना मद से भारित होगा। विपत्र कोड-"एन0-2014001170002 संबंधित कोषागार से राशि की निकासी होगी।

4. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।  
अनुलग्नक:-व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/पद सृजन-15-8/2015सा0प्र0 .....11.6.94...../पटना-15, दिनांक.....30.8.18.....  
प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/  
महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-26485 दिनांक 05.04.2018 के प्रसंग में/विशेष  
सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 28.08.2018 के मद  
संख्या-03 के प्रसंग में/सभी संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी  
एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30.8.18  
सरकार के अवर सचिव।


व्यय-विवरणी

संचिका संख्या-7/पद सृजन-15-8/2015

**DETAILS OF ESTIMATED EXPENDITURE ON CREATION OF 185 POSTS OF ADDITIONAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE FOR ESTABLISHING 38 ADDITIONAL COURTS & 147 FAST TRACK COURTS AND 10 POSTS OF ADDITIONAL PRINCIPAL JUDGE FOR 10 FAMILY COURTS UNDER THE 14<sup>TH</sup> FINANCE COMMISSION**

Sl. No.	Name of the Post	No. of Post	Pay Scale (P.S.)	Average pay/ Basic pay (Upper Limit of P.S. + Lower Limit of P.S.)/2	Annual Expenditures*** (E X C X 12)	Dearness Allowance @ 139%	Expenditures in 2018-19 (F + G)
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Additional District & Sessions Judge for 38 Additional Courts	38	₹ 51550-1230-58930-1380-63070	₹ 57,310/-	₹ 2,61,33,360/-	₹ 3,63,25,370.4/-	₹ 6,24,58,730.4/-
2.	Additional District & Sessions Judge for 147 Fast Track Courts	147	₹ 51550-1230-58930-1380-63070	₹ 57,310/-	₹ 10,10,94,840/-	₹ 14,05,21,827.6/-	₹ 24,16,16,667.6/-
3.	Additional Principal Judge for 10 Family Courts	10	₹ 51550-1230-58930-1380-63070	₹ 57,310/-	₹ 68,77,200/-	₹ 95,59,308/-	₹ 1,64,36,508/-
4.	<b>Total</b>	<b>195</b>					<b>₹ 32,05,11,906/-</b>

\*\*\*In addition to above mentioned expenditure, other allowances including HRA as admissible to the Officers of Judicial Service from time to time shall also be payable.

  
 (शिवमहादेव प्रसाद)  
 सरकार के अवर सचिव।